

## RAJASTHAN INDIAN MEDICINE RULES, 1956

1. **Short title and commencement** - (1) These rules may be called the Rajasthan Indian Medicine Rules, 1956.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in The Rajasthan Gazette.
2. **Definitions** - In these rules, unless the context otherwise requires -
  - (i) 'Act' means the Rajasthan Indian Medicine act, 1953 (Rajasthan Act, V of 1953);
  - (ii) 'Form' means a form annexed to these rules;
  - (iii) 'Section' means a section of the Act.
3. **List of Members to be maintained** - The Registrar shall maintain a list containing the names of the members elected on the Board, the electorates they represent, the date of the election each such member, the term of his office, and the date of death, retirement, resignation or removal of each such member. The list shall also contain similar particulars in regard to the members nominated by Government, the Registrar shall keep the list always up-to date so that it may show at a glance when the next election or nomination, as the case may be, has to be made.
4. **Report regarding anticipated vacancy** - Ninety days before the expiration of the term of office of any member appointed in the Board the Registrar shall make a report in writing regarding the vacancy to the chairman if the vacancy is to be in respect of an elected member, and to Government through the Chairman if the vacancy is to be in respect of a nominated member.
5. **Report regarding casual vacancy and period of filling them up** - (1) If a vacancy occurs in the office of a member of the Board previous to expiry of his term of office through resignation, death, removal, or disability of such member or otherwise, the Registrar shall make report in writing regarding the vacancy to the Chairman if the vacancy be in

respect of an elected member and the Government through the Chairman in case the Vacancy be in respect of nominated member,

(2) All casual vacancies in the office of the Chairman or a member shall, with reference to section 14 (i) be filled up within 6 months of the occurrence of the vacancy.

**6. Filling up vacancies of elected Members** - (1) In the case of vacancies of elected members an election shall be held to fill the vacancy. The Registrar or any other person authorized by him in this behalf shall act as the Returning Officer for such election. If the vacancy is to occur in consequence of the expiry of the term of office of a member such Geturning officer shall some time not less than forty two days and not more than sixty days before the day on which the term of office of such member is due to expire, or , if the vacancy has already occured through death, resignation, removal or disability of such member or otherwise, as such as conveniently may be after the occurance of the vacancy, issue a notice to the after the occurance of the vacancy, issue a notice to the electorate concerned, requiring the said electorate to elect a member or members by a date mentioned in the notice.

(2) The date mentioned in the said notice shall be taken as the prescribed date for the purposes of section 7.

**7. Proscedure of election of Members** - The following procedure shall be adopted for the filling of vacancies by election :-

(i) The Electoral Roll in Form No. 1 shall be prepared by the Registrar from the Register and published in the Rajasthan Gazette. It shall contain the name, qualifications, and address of every person qualified to vote for the election of a member to fill up the vacancies.

**Note :-** Separate rolls shall be preparted for each of the constituencies of registered Vaidys, registered Hakims and registered Midwives.

(ii) Candidates qualified for being elected shall be proposed and seconded by persons qualified as electors. No. elector shall propose or second the nomination of more persons than are required to fill up the vacancy or vacancies. If more nominations than are required to fillup a vacancy or vacancies be subscribed by the same elector, all nominations subscribed by him shall be held to be void,

(iii) the candidate shall sign the nomination paper declaring that he is willing to serve on the Board, if electd,

- (iv) In the absence of such a declaration, the nomination shall be treated as is valid,
- (v) Every proposal for nomination shall be in writing in a printed form (form No. 2) which may be had from the Registrar free of cost and shall be signed by the proposer and seconder and send by post or otherwise, so as to reach the returning Officer on or before the date appointed by him under sub-rule (2) of rule 6,
- (vi) any candidate shall be at liberty to withdraw his candidature in writing signed by him and delivered to the Returning Officer within 7 days of filing the nomination . A candidate who has withdrawn his candidature shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be recommended as candidate for the same election.
- (vii) the Returning Officer shall decide all questions which may arise as to the validity of any nomination on a date fixed by him for scrutiny of nominations and his decision thereon shall be final .
- (viii) If in case of any election the number of candidates duly nominated does not exceed the number required to fill up the vacancy or vacancies the Returning Officer shall forthwith declare all such candidates to be elected.
- (ix) If in case of any such election more candidates than are necessary to fill up the vacancy or vacancies are nominated, the returning Officer shall forthwith publish their names and address in the Rajasthan Gazette and in such other manner as the Returning Officer may deem fit, and shall further cause their names to be entered in ballot papers in form No. 3
- (x) Not less than twenty-one days before such date as may be appointed by the Returning Officer under rule 7 (xi) the Returning Officer shall send by registered post to each elector a Ballot paper signed by the Returning Officer, No election shall be invalidated by reason only of an elector not receiving his ballot paper : provided that a Ballot paper has been issued to him in accordance with these Rules.
- (xi) Before such date as may be appointed by the Returning Officer in this behalf every elector, desirous of voting, shall personally deliver or send by post his Ballot paper to the Returning Officer after recording his votes in the manner prescribed therein :

Provided that any Ballot paper which is not received by the Returning officer before 2 noon on the date so appointed for the counting of votes shall be rejected.

- (xii) the Returning Officer shall attend for the purpose of counting the votes on such date and at such time and place as may be appointed by the Chairman in this behalf, The ballot papers shall then be scrutinized

and the valid votes counted, any candidate may also be present either in person or by an accredited representative to watch the counting of the votes .

(xiii) A Ballot paper shall be invalid if :-

- (a) it does not in any way conform to these rules,
- (b) it does not conform to the instructions printed thereon, or
- (c) it does not bear the initials of the Returning Officer, or
- (d) no vote is recorded thereon, or
- (e) a voter signs his name or writes a word or makes any mark on it, by which it becomes recognisable as his Ballot paper, or
- (f) the number of votes recorded thereon exceeds the number of vacancies to be filled, or
- (g) it is void for uncertainty of one or more votes exercised :

Provided that when more than one vote can be given on the same Ballot paper , if one of the marks is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, the vote concerned and not the whole Ballot paper shall be invalid on that account.

(xiv) If any objection is made to any Ballot paper on the ground that it does not comply with the specified requirements or to any rejection by the Returning Officer of a Ballot paper, it shall be decided at once by the Returning Officer whose decision shall be final.

(xv) The Returning Officer shall nominate such number of scrutineers not exceeding four as he thinks fit in consultation with the chairman.

(xvi) When the counting of the votes has been completed, the returning officer shall forthwith declare the candidate or candidates as the case may be, to whom the largest number of votes has been given to be elected, and shall forthwith the successful candidate by letter of his having been elected to the Board.

(xvii) When an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of one vote will entitle any one or more of the candidates to be declared elected the determination of the person or persons to whom such additional vote shall be deemed to have been given shall be made by lot, to be drawn by the Returning Officer in such manner as the Chairman may determine.

(xviii) Upon the completion of the counting and after the result has been declared by him the Returning officer shall seal the Ballot paper and all

other documents relating to the election and shall retain the same with himself for the period of six monthes and there after with the approval of the State Government cause them to be destroyed.

(xix) The Returning Officer shall notify in the Rajasthan Gazattee and in such other manner as the Board may think fit the date, time and place fixed for such of the following proceedings, namely :-

(a) the sending of Ballot papers to the electors under rule 7 (x)

(b) the last date for receiving Ballot papers and the date for the counting of the votes under rule 7 (xi) and (xii)

(xx) the State Government may, of his own motion or on an objection made before him, declare any election that has been held on be void on account of corrupt practice or any other sufficient cause and than call on the electorate to make a fresh election. The decision of the State Government under this rule shall be final.

(xxi) If any question arises as to the intention or application of this rule, which in the opinion of the Board should be referred to the State Government , the Board shall refer such question to the State Government, whose decision shall be final.

**8. Election of Vice-Chairman** :- (1) The election of the Vice-Chairman shall be Ballot at a meeting specially convened for the purpose and for which due notice has been given to each member stating the time and place of the meeting.

(b) If the chairman is not present the members shall choose from amongst themselves a person other than a candidate for election to preside over the meeting for the election.

(c) Ever candidate shall be duly proposed and seconded.

(d) The Chairman of the meeting shall declare the candidate securing the largest number ov votes as duly elected.

(e) In the event of two or more candidates securing an equal number of votes, the chairman of the meeting shall be decided by drawing lots, the candidate whom he shall declare as duly elected.

**9. Expenses of Chairman** - The Chairman shall be paid travelling and other expenses at the following rates :-

(1) travelling expenses at First Class Fare and @Rs. 7/8/-per day as D.A.

(2) Expenses of attending a meeting at the rate of rupees 7/- per Meeting.....

**10. Expenses of members** - Every member other than an official shall be paid expenses at the following :-

- (1) travelling expenses at First Class Fare and @ Rs. 5/- per day as D.A.
- (2) Expenses of attending a meeting at the rate of rupees 7/- per meeting.

11. **General rules regarding Travelling expenses** - The following provisions shall apply in respect of the payment of travelling expenses to the Chairman and Members :-

- (1) Such expenses shall be payable only in respect of journeys performed in connection with business of the Board including journeys performed in connection with attending the meetings of the Board or Committee there of ;
- (2) Such expenses shall be drawn by means of a bill giving the details of each item and signed by the person drawing the expenses . It shall be countersigned by the Chairman who may also countersign his own bills also.

## **FINANCIAL PROVISION**

- 12. An account shall be opened in a Bank doing Government treasury in the name of the Board, and all moneys of the Board shall be deposited in the Bank, subject to the reservation mentioned here after.
- 13. The Registrar shall receive all moneys payable to the Board, He shall not retain in his hand a sum exceeding Rs. 200/- the balance being lodged in the Bank to the credit of the Board.
- 14. The annual accounts shall be made up by the Registrar. They shall be audited by a Chartered Accountant or an Accountant appointed by the Accountant General, Rajasthan, as soon as possible after the close of each financial year.
- 15. In the month of September in each year or on such other date as the State Government may fix, an estimate of the revenue, and of the expenditure of the Board for the year commencing on 1st April next ensuing, shall be sent to the State Government.
- 16. Such estimate shall make provision for the fulfilment of the liabilities of the Board and for effectually carrying out its objects. It shall include on its revenue side, besides all revenue ordinarily anticipated, such grant as Government may allot and all fees received from registration and other sources.
- 17. The State Government shall consider the estimate so submitted to it and shall sanction the same either unaltered or subject to such alterations as it may deem fit.

18. The State Government may at any time during the year for which any estimate has been sanctioned cause a supplementary estimate to be prepared and submitted to it. Every such supplementary estimate shall be considered by the State Government in the same manner as if it were an original annual estimate.
19. No expenditure shall be incurred by the board which is not duly provided for in the budget or in a supplementary budget estimate.
20. The Registrar shall immediately bring into account in the general cash book all moneys received or spent by the Board.
21. All cheques on the Bank shall be signed by the Chairman or such other person as may be authorized by the State Government.
22. The accounts of the Board shall be maintained in the language in which accounts of the State Government are the time being maintained.

## REGISTERS AND LISTS

23. **Form of registers under section 31 of the Act** - (1) The registers under section 31 shall be maintained in Form No. 4.  
(2) Separate registers shall be maintained for (i) vaidyas, (ii) Hakims and (iii) Midwives.  
(3) Each such register shall be divided into two part - Part A and Part B - containing respectively, particulars relating to practitioners of Class A and those of Class B, (see Sections 31 and 32)
24. **Appeals under section 32(5) from the decision of the registrar of the Board** - The appeals against a decision of Registrar filed under section 32 (5) shall be governed by the following rules made under section 54 and particularly under section 54 (20) (h) read with section 32 (6) :-  
(1) Such appeal shall be filed by means of a memorandum in writing signed by the appellant, which shall be presented by him in person or sent through a duly authorized person or by post as to reach the office of the Board within the period of ninety days mentioned in section 32 (5) . It should state in brief the grounds of appeal.  
(2) The Registrar shall maintain a Register of such appeals and enter them under serial numbers. The Register should contain particulars relating to the appellant, the date of receipt of the memorandum of appeal, the result of the appeal when decided and such other particulars as the Chairman may direct to be entered there in.

(3) A meeting of the Board shall ordinarily be held at least once in three months for the purpose of hearing such appeals.

**Note** - Nothing in this sub-rule shall be construed as preventing the Board from transacting any other business at the meeting.

(4) Information of the date, time and place of the meeting shall be sent in writing to the appellant in sufficient time so as to allow him a reasonable for attending the meeting, if he so chooses.

(5) At the meeting held for the purpose, the appellant shall have a right to appear personally or through a legal adviser duly authorized by him and to be heard.

(6) The provisions of the Act and the Regulations thereunder, applicable to meeting of the Board, including section 17, 18,19 and 21 , shall apply to meeting held for hearing appeals under this Rule.

(7) With reference to proceedings held before the Advisory Committee concerned under section 22 (2) (c) read with section 20 . this rule shall apply in the same manner as it applies with reference to proceedings before the Board.

(8) Provisions of the rule shall apply, as far as may be to appeals arising of applications unders section 34 and 36 also.

(9) While an appeal under this rule is heard before the Advisory Committee, the appellant shall have a right to produce oral and documentary evidence at the meeting, but the person presiding at the meeting shall have the power of regulating the taking of such evidence particularly in order to avoid under delay. Such evidence as is regarded by him as irrelevant need not be recorded at the meeting.

**25. Form of lists under section 36** - (1) The list of practitioners enlisted under section 36 (1) (a) shall be maintained Form No. 5.

(2) The list of persons qualified to practice, maintained under section 36 (1) (b) shall be in Form No. 6.

**FORM NO. 1**  
**See rule 7 (1)**  
**ELECTORAL ROLL**

List of persons qualified to vote under clause of section of the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953 in the ..... Constituency.

Serial number, Registration number	Name	Father's name	Address
1	2	3	4

I certify that all the persons whose names are entered in the above roll are qualified to vote under ..... of the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953

**Registrar**  
**Board of Indian System of Medicine, Rajasthan**

**FORM NO. 2**  
**See rule 7 (v)**  
**NOMINATION PAPER**

Election under clause of section of the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953.

---

Constituency  
Registration  
number and

Name candi- date	Father's name	name of cons- tituency and serial number on the electoral roll	Address	Siganutre of proposer of seconder	Signaure
------------------------	------------------	--	---------	--------------------------------------	----------

---

1                   2                   3                   4                   5                   6

---

---

I hereby declare that I am the person about whom the above particulars are given and that I agree to this nomination.

(Signature).....  
Candidate,  
Returning Officer,

**INSTRUCTIONS**

Nomination papers which are not received by the returning officer on or before the ..... will be in invalid

**FORM NO. 3**  
**See rule 7 (ix)**  
**FORM OF BALLOT PAPER**

Board of Indian Medicine , Rajasthan Counterfoil front .....  
 constituency.

COUNTERFOIL	Names of Candidate	Marks de-noting vote
Election for Board of Indian Medicine Rajasthan. 195 S.No. of Ballot Paper No. of the Roll of the elector in the Electoral Roll .....		
Name of the Elector .....		
Date of Despatch .....		
Initials of Despatching Officer		

**Initials of  
 Returning Officer.**

**Counter foil-Reverse  
INSTRUCTIONS**

1. The number of candidates for whom the elector may vote is .....  
.....
2. You shall vote by placing the mark x opposite the name or names of candidates whom you prefer. If you do not wish to use all your votes (in cases where more than one vote is allowed ) you need not do so, but more than one vote may not be given to any one candidate.
3. Under the Rajasthan Indian Medicine Rules , 1956 a ballot paper shall be invalid, if -
  - (a) it does not in any way conform to those rules,or
  - (b) it does not conform to the instructions printed thereon , or
  - (c) it does not bear the initials of the Returning Officer, or
  - (d) no vote is recorded thereon, or
  - (e) a voter signs his name or writes a word or makes any mark on it, by which it becomes recognisable as his ballot paper , or
  - (f) the number of votes recorded thereon exceeds the number of vacancies to be filled , or
  - (g) it is void for uncertainty of one or more vote exercised :  
Provided that when more than one vote can be given on the same ballot paper, if one of the marks is so placed as to render it doubtful to which candidate, it is intended to apply, the vote concerned and not the whole ballot paper shall be invalid on that account.
4. Ballot papers which do not reach the Returning Officer before 12 Noon on the ..... day of ..... shall be rejected.

## GOVERNMENT OF RAJASTHAN

### Medical & Pub. Health Department (Gr. III) Jaipur, Dated the 23rd Dec. , 1976 NOTIFICATION

**No. F. 6 (1) MPH /75.** - The following draft of Rules further to amend the Rajasthan Indian Medicine Rules, 1956, which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54 of the Indian Medicine Act, 1953 (Rajasthan Act V of 1953) is hereby published as required by sub-section, (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected. The said draft rules will be taken into consideration after 30 days from the date of their publication in the official gazette of Rajasthan.

Any objections or suggestion received from any person with respect to the said draft rules during this period, will be considered by the State Government.

1. **Short title and commencement** . - These rules may be called the Rajasthan Indian Medicine (Amendment) Rules, 1976.
2. They shall be deemed to have come into force from 1-1-1971.
3. **Amendment of Rule 9.** - For the existing rule 9, the following rule shall be substituted :-  
" **9 Expenses of Chairman** . - The Chairman shall be paid travelling and other expenses in accordance with the rates admissible to category - B officers, as provided in the Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971 , as amended from time to time ".
4. **Amendment of Rules 10.** - For the existing rule 10 of the said rules, the following rule shall be substituted :-  
" **Expenses of Members** :- Every member, other than an official member, shall be paid expenses in accordance with the rates admissible to category C - officers, as provided in the Rajasthan Travelling Allowance Rules, 1971, as amended from time to time . "

By Order of the Governor,  
Vijay Singh,  
Secretary to the Government.

## राजस्थान भारतीय चिकित्सा नियम, 1956

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :— (1) ये नियम राजस्थान भारतीय चिकित्सा नियम , 1956 कहलायेंगे ।  
(2) यह राजस्थान गजट में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभाव में आयेंगे ।
2. परिभाषायें :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो –  
(1) अधिनियम से तात्पर्य ” राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम , 1953 ” (राजस्थान अधिनियम 5 सन् 1953 से है )  
(2) प्रपत्र से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न किसी प्रपत्र से है ।  
(3) ” धारा ” से तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है ।
3. सदस्यों की सूची रखा जाना :— रजिस्ट्रार एक सूची रखेगा , जिसमें बोर्ड के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम निर्वाचकगण , जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं , ऐसे प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन की तारीख , उसकी पदावधि तथा ऐसे प्रत्येक सदस्य की मृत्यु , सेवा निवृत्ति , पद त्याग या पद से हटाए जाने की तारीख अन्तर्विष्ट होगी । उक्त सूची में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के सम्बन्ध में भी वैसा ही व्योरा अन्तर्विष्ट होगा । रजिस्ट्रार सूची की तारीख पूरी रखेगा , जिससे कि यह तुरन्त मालूम जो जाये कि आगामी निर्वाचन या मनोनयन , जैसी भी दशा हो , कब किया जाना है ।
4. प्रत्याशित स्थान रिक्त के बारे में रिपोर्ट :— बोर्ड में नियुक्त किसी भी सदस्य की पदावधि समाप्त होने के 90 दिन पहले रजिस्ट्रार स्थान रिक्त के बारे में एक रिपोर्ट , उस दशा में जबकि रिक्त किसी मनोनीत सदस्य की होने को हो , अध्यक्ष के मारफत सरकार को लिखित में प्रेषित करेगा ।
5. आकस्मिक रिक्त स्थानों के बारे में रिपोर्ट और उनके भरने की अवधि :— (1) यदि बोर्ड के किसी सदस्य का पद उसकी पदावधि समाप्त होने के पूर्व उक्त सदस्य के पद त्याग, मृत्यु , पद से हटाये जाने या निर्योग्यता के कारण रिक्त हो जाय तो रजिस्ट्रार स्थान रिक्त के बारे में एक रिपोर्ट उस दशा में जब रिक्त किसी निर्वाचित सदस्य की है अध्यक्ष की, और उस दशा में जबकि रिक्त किसी मनोनीत सदस्य की हो अध्यक्ष की, मारफत सरकार को लिखित में प्रेषित करेगा ।  
(2) अध्यक्ष या सदस्य के पद की सभी आकस्मिक रिक्तियां धारा 14 (1) के निर्देश से रिक्त होने के 6 माह के भीतर जायेंगी ।

6. **निर्वाचित सदस्यों की पद रिक्तियों को भरना** :— (1) निर्वाचित सदस्यों की पद रिक्तियों की दशा में रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचन कराया जावेगा । रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस बारे में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उक्त निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेगा । यदि किसी सदस्य की पदावधि समाप्त होने के फलस्वरूप कोई स्थान रिक्त होने को है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिन जिसको कि उक्त सदस्य की पदावधि समाप्त होनी है, से कम से कम 42 दिन और अधिक से अधिक साठ दिन पहले अथवा कोई स्थान उक्त सछय की मृत्यु पदत्याग, पद से हटाये जाने या निर्याग्यता के कारण या अन्यथा रिक्त हो चुका है, तो स्थान रिक्त हो जाने के पश्चात् जितना सुविधापूर्वक सम्भव हो सके उतना शीघ्र सम्बन्धित निर्वाचकगण को एक या अधिक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) उक्त नोटिस में वर्णित धारा 7 के प्रयोजनों के लिए निर्धारित तारीख मानी जाएगी ।

7. **सदस्यों के निर्वाचन की प्रणाली** :— रिक्त स्थान को निर्वाचन द्वारा भरने के लिए निम्नांकित प्रणाली अपनाई जायेगी —

(1) रजिस्ट्रार द्वारा एक निर्वाचक नामावली फार्म न. 1 में रजिस्टर से तैयार की जायेगी और राजस्थान गजट में प्रकाशित की जायेगी । उसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम, योग्यतायें और पता समाविष्ट होगा, जो उक्त रिक्त स्थानों के भरने के लिए योग्य हो ।

टिप्पणी — प्रत्येक क्षेत्र में रजिस्टर्ड वैद्यो, रजिस्टर्ड हकीमों, और रजिस्टर्ड दाइयों की पृथक — पृथक निर्वाचक नामावलियां तैयार की जाएंगी ।

(2) निर्वाचित होने के लिए योग्य उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव व समर्थन उन व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा, जो योग्यता प्राप्त निर्वाचक हों । कोई रिक्त स्थान या स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों से भी अधिक व्यक्तियों के लिए प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगा । यदि रिक्त स्थान या स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित मनोनयन पत्रों से अधिक मनोनयन पत्र एक ही निर्वाचक द्वारा अनुहस्ताक्षरित किये जायेंगे तो उनके द्वारा अनुहस्ताक्षरित सभी मनोनयन पत्र शून्य माने जायेंगे ।

(3) उम्मीद मनोनयन पत्र पर यह घोषणा करते हुए कि वह निर्वाचित हो जाने पर बोर्ड में कार्य करने के लिये तैयार है, मनोनयन पत्र पर हस्ताक्षर करेगा ।

(4) उक्त घोषणा के अभाव में मनोनयन पत्र अमान्य माना जायेगा ।

(5) मनोनयन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव छपे हुए फार्म (फार्म नं. 2) जो रजिस्ट्रार से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा, में लिखित रूप में होगा और उस पर प्रस्तावक व समर्थक के हस्ताक्षर होंगे तथा वह डाक से या अन्य रीति से इस प्रकार से भेजा जायेगा कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत की गई तारीख, जो के नियम 6 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत की हुई तारीख से कम से कम 15 दिन पहले न होगी को या उसके पहले निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच जायें ।

(6) कोई भी उम्मीदवार मनोनयन पत्र प्रस्तुत किये जाने से सात दिन के भीतर निर्वाचन अधिकारी को लिखित तथा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र लेकर अपना नाम उम्मीदवारी से वापस ले सकेगा । जिस उम्मीदवार ने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया है, उसको नाम वापसी की कार्यवाही रद्द कराने की अथवा उसी निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में उसकी सिफारिश किये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(7) निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी प्रश्नों को जो किसी मनोनयन की वैधता के बारे में उत्पन्न हों, उस तारीख को जो मनोनयन पत्र की जांच के लिए उसके नियत की जाय, तय करेगा और उसके बारे में उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(8) यदि किसी निर्वाचन में यथाविधि मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या, रिक्त स्थान व स्थानों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या से अधिक न हो, निर्वाचन अधिकारी तुरन्त ही उक्त सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर देगा ।

(9) यदि ऐसे किसी निर्वाचन में, रिक्त स्थान या स्थानों को भरने के लिए आवश्यक संख्या से अधिक उम्मीदवार मनोनीत किये जाएं तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त ही उनके नाम व पते राजस्थान गजट में तथा ऐसी अन्य रीति से जिसे निर्वाचन अधिकारी उचित समझें, प्रकाशित करेगा और इसके अतिरिक्त उनके नाम मत-पत्र फार्म नं. 4 में दर्ज करायेगा ।

(10) निर्वाचन अधिकारी अपने द्वारा नियम 7 (11) के अन्तर्गत नियत की गई तारीख से कम से कम 21 दिन पहले, प्रत्येक निर्वाचक को एक मत-पत्र जिस पर उसके (निर्वाचन अधिकारी के) हस्ताक्षर होंगे, रजिस्टर्ड डाक से भेजेगा । कोई भी निर्वाचन केवल इस कारण से अवैध नहीं ठहराया जावेगा कि किसी निर्वाचक को मत-पत्र नहीं मिला, यदि उसको एक मत-पत्र इन नियमों के अनुसार भेज दिया गया है ।

(11) ऐसी तारीख जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बारे में नियत की जाय के पहिले, प्रत्येक निर्वाचक जो मत देने का इच्छुक हो अपने मत-पत्र को, उसमें निर्धारित रीति से अपना एक या अधिक मत अंकित करके, निर्वाचन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से देगा, या डाक से भेजेगा :

परन्तु कोई मत पत्र जो मत गणना के निमित्त इस प्रकार नियत की गयी तारीख को 12 बजे मध्याह्न के पहिले, निर्वाचन अधिकारी के पास नहीं पहुंचे, अस्वीकृत हो जायेगा ।

(12) निर्वाचन अधिकारी मतों को गिनने के लिये ऐसी तारीख को तथा ऐसे समय व स्थान पर जो अध्यक्ष द्वारा इस बारे में नियत किये जाएं, उपस्थित होगा । तब मत-पत्रों की जांच की जायेगी और वैध मतों की गिनती की जायेगी । कोई भी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये मतगणना के लिए उपस्थित रह सकेगा ।

(13) कोई मत-पत्र अवैध होगा यदि –

(क) वह किसी भी रूप में इन नियमों के समनुरूप न हो, या

(ख) यह उस पर मुद्रित हिदायतों के अनुरूप न हो, या

(ग) उस पर निर्वाचन अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर न हो, या

(घ) उस पर मत अंकित न हो, या

(ङ) कोई मतदाता उस पर अपना नाम हस्ताक्षरित करे या उस पर कोई शब्द लिखे, या चिन्ह अंकित करे, जिससे कि वह पहचानने योग्य हो जाय कि वह उक्त मतदाता का मत-पत्र है, या

(च) उस अंकित मतों की संख्या भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक है, या

(छ) वह एक या अधिक मत दिये जाने की अनिश्चिता के कारण शून्य हो परन्तु जब एक मत-पत्र पर एक से अधिक मत दिये जा सकते हों उस दशा में कोई यदि चिन्हों में से कोई चिन्ह इस प्रकार अंकित हो कि यह सन्देहपूर्ण हो कि मत किस उम्मीदवार के लिए अभिप्रेत हो, तो उसके कारण केवल सम्बन्धित मत ही अवैध होगा, न कि सम्पूर्ण मत-पत्र ।

(14) यदि किसी मत-पत्र के बारे में इस आधार पर आपत्ति की जाये कि वह निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है अथवा निर्वाचित अधिकारी द्वारा किसी मत-पत्र के अस्वीकृत किये जाने के बारे में आपत्ति की जाये, तो निर्वाचन अधिकारी उस पर अपना निर्णय तुरन्त देगा, और उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(15) निर्वाचन अधिकारी जांच करने वाले उतने व्यक्ति जितने वह उचित समझे किन्तु जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगा, अध्यक्ष के परामर्श से मनोनीत करेगा ।

(16) जब मतों की गणना समाप्त हो जाये , निर्वाचन अधिकारी तुरन्त ही ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों , जिसको , जिनको या सबसे अधिक मत दिये गये है , को निर्वाचित घोषित करेगा तथा तुरन्त ही सफल उम्मीदवार को बोर्ड में उसके निर्वाचित होने की सूचना पत्र द्वारा देगा ।

(17) जब किन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच मतों की समानता पाई जाय और एक मत जोड़े जाने से उनमें से कोई एक या अधिक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने के हकदार हो जाए तब यह निश्चय कि ऐसा अतिरिक्त मत किस व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया हुआ समझा जायगा , निर्वाचन अधिकारी ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जाये , भाग्य पत्रक डाल कर करेगा ।

(18) मत गणना की समाप्ति पर और निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा किये जाने के पश्चात , निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन सम्बन्धी मत पत्रों और अन्य सभी दस्तावेजों को सीलबन्द करेगा और उनके अपने पास 6 माह की अवधि तक रखेगा , तत्पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन से उनको नष्ट करवायेगा ।

(19) निर्वाचन अधिकारी निम्नांकित कार्यवाहियों में से प्रत्येक के लिए नियत तारीख , समय और स्थान की राजस्थान गजट में या अन्य ऐसी रीति , जो बोर्ड उचित समझे , से अधिसूचित करेगा , अर्थात :—

(क) नियम 7 (10) के अधीन निर्वाचकों को मत—पत्र भेजना ।

(ख) नियम 7 (11) व (12) के अधीन मत—पत्रों की प्राप्ति के लिये अन्तिम तारीख और मतगणना के लिये तारीख ।

(20) राज्य सरकार स्वयं या उसके समक्ष प्रस्तुत की गयी आपत्ति पर ऐसे किसी निर्वाचन को जो कराया जा चुका है भ्रष्टाचार या अन्य किसी पर्याप्त कारण से शून्य घोषित कर सकेगा और तदुपरान्त निर्वाचकगण को नये निर्वाचन करने के लिये कह सकेगी । इस नियम के अधीन राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

## 8. उपाध्यक्ष का निर्वाचन :—

(क) उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी बैठक जो तत्प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलाई जाये , और जिसके लिये प्रत्येक सदस्य को यथोचित नोटिस , बैठक का समय और स्थान बतलाते हुए दे दिया गया हो , में गुप्त मत—पत्र द्वारा किया जायेगा ।

(ख) यदि अध्यक्ष उपस्थित न हो तो सदस्य अपने में से ऐसे किसी व्यक्ति को जो निर्वाचन के लिये उम्मीदवार न हो , निर्वाचन के लिये की जाने वाली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे ।

(ग) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव व समर्थन यथाविधि किया जावेगा ।

(घ) बैठक का सभापति उस उम्मीदवार को जिसे सबसे अधिक मत मिले हों यथा विधि निर्वाचित घोषित करेगा ।

(ङ) दो या अधिक उम्मीदवारों को समान संख्या में मत मिलने की दशा में बैठक का सभापति भाग्य पत्रक निकाल कर ऐसा उम्मीदवार निश्चित करेगा जिसे वह यथाविधि निर्वाचित घोषित करेगा ।

9. अध्यक्ष के व्यय :— अध्यक्ष की यात्रा व्यय तथा अन्य व्ययों का भुगतान निम्नांकित दरों के अनुसार किया जावेगा :—

(1) यात्रा व्यय :— फर्स्ट क्लास का किराया और रूपये 7/8 आने प्रति दिन के हिसाब से दैनिक भत्ता ।

(2) रूपये 10) प्रति बैठक के हिसाब से उपस्थित होने के व्यय ।

10. सदस्यों के व्यय :— सरकारी सदस्य से भिन्न प्रत्येक सदस्य को व्यय निम्नांकित दरों से भुगतान किये जायेंगे :

(1) यात्रा व्यय फर्स्ट क्लास का किराया और रूपये 5) प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता ।

(2) रूपये 7) प्रति बैठक के हिसाब से बैठक में उपस्थित होने के व्यय ।

11. यात्रा के व्यय के सम्बन्ध में सामान्य नियम :— अध्यक्ष और सदस्यों की यात्रा व्यय के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगे :—

(1) उक्त व्यय केवल बोर्ड के कार्य के सम्बन्ध में की गई यात्राओं जिन में बोर्ड या उसकी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के सम्बन्ध में की गई यात्रायें सम्मिलित हैं, के लिये भुगतान योग्य होंगे ।

(2) उक्त व्यय की रकम ऐसे बिल, जिसमें प्रत्येक मद का ब्योरा दिया हुआ हो और जिस पर व्यय की रकम उठाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हों के जरिये उठाई जायेगी । उक्त बिल पर अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर (काउन्टर सिगनेचर) होंगे और वह स्वयं अपने बिलों पर भी प्रति हस्ताक्षर (काउन्टर सिगनेचर) कर सकेगा ।

## वित्तीय – प्रावधान

12. सरकारी कोषागार कार्य करने वाले किसी बैंक में, बोर्ड के नाम से अकाउण्ट खोला जा सकेगा तथा बोर्ड की समस्त धन राशियां इसमें आगे वर्णित आरक्षणी (रिजर्वेशन्स) के अधीन बैंक में जमा कराई जायेंगी ।

13. रजिस्ट्रार बोर्ड को भुगतान योग्य समस्त धनराशियां प्राप्त करेगा । वह अपने पास रूपये 200) से अधिक राशि नहीं रखेगा और अवशिष्ट राशि बैंक में बोर्ड के अकाउण्ट में जमा करायी जायेगी ।

14. वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये जावेंगे, जिनकी लेखा परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथा सम्भव शीघ्र किसी चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट द्वारा अथवा ऐसे लेखापाल जिसे अकाउन्टेन्ट जनरल नीयत करे, द्वारा की जायेगी ।

15. प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में अथवा ऐसी अन्य तारीख जो राज्य सरकार नीयत करें की बोर्ड के आगामी 1 अप्रैल को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिये आय और व्यय राज्य सरकार को भेजे जायेंगे ।

16. उक्त अनुमान में बोर्ड के दायित्वों को पूरा किया जाने के लिये तथा उसके उद्देश्यों को क्रियान्वित किये जाने के लिए प्रावधान होगा । अनुमान में आय पक्ष की और साधारण तथा प्रत्याशित समस्त आय के साथ ही ऐसे अनुदान जो

सरकार नियत करें और ऐसी फीसें , रजिस्ट्रीकरण और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त हो सम्मिलित होगी ।

17. राज्य सरकार इस प्रकार उसे प्रस्तुत किये गये अनुमान पर विचार करेगी तथा उक्त अनुमान को या तो अपरिवर्तित रूप में या ऐसे परिवर्तन जो उचित समझे के अधीन रहते हुए स्वीकृत करेगी ।

18. राज्य सरकार ऐसे वर्ष , जिसके लिए कोई अनुमान स्वीकृत किया गया है के दौरान किसी भी समय एक अनुपूरक अनुमान तैयार करवा के अपने समक्ष प्रस्तुत करवा सकेगी । ऐसे प्रत्येक अनुपूरक अनुमान पर राज्य सरकार द्वारा इस भाँति विचार किया जावेगा मानो वह एक मूल वार्षिक अनुमान हो ।

19. बोर्ड द्वारा कोई ऐसा व्यय नहीं किया जायेगा , जिसके लिए बजट में या अनुपूरक बजट अनुमान में यथाविधि प्रावधान नहीं किया हुआ हो ।

20. रजिस्ट्रार ऐसी सभी धन राशियों को जो बोर्ड द्वारा प्राप्त या व्यय की जाय , जनरल केश बुक में तुरन्त ही लेखांकित करेगा ।

21. बैक के नाम काटे गये सभी चैकां पर अध्यक्ष के अथवा ऐसे , अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय के हस्ताक्षर होंगे ।

22. बोर्ड के लेखे उसी भाषा में रखे जायेंगे , जिसमें कि राज्य सरकार के लेखे तत्समय रखे जाते हों ।

## रजिस्टर और सूचियां

23. अधिनियम की धारा ( 31 के अन्तर्गत रजिस्टरों का फार्म :— (1) धारा 31 के अन्तर्गत रजिस्टर फॉर्म नं. 4 में रखे जायेंगे :—

(2) (1) वैद्यो , (2) हकीमों और (3) दाइयों के लिए अलग—अलग रजिस्टर रखे जायेंगे ।

(3) प्रत्येक रजिस्टर को भाग (ए) और भाग (बी) में विभाजित किया जायेगा , जिनमें क्रमशः : श्रेणी (ए) और (बी) के चिकित्सकों सम्बन्धी ब्योरे दर्ज किये जायेंगे ।

24. बोर्ड के रजिस्ट्रार के निर्माण के विरुद्ध धारा (35) :— रजिस्ट्रार के किसी निर्णय के विरुद्ध दायर की गई अपीलें धारा 54 के अन्तर्गत और विशेषतया धारा 32 (6) के साथ पठित धारा 54 (2) (एच) के अन्तर्गत निर्मित निम्नांकित नियमों से शासित होगी :—

(1) ऐसी अपील अपीलान्ट एक लिखित मेमोरेन्डम के जरिये जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे दायर करेगा , जो कि नब्बे दिन की अवधि के भीतर जैसा कि धारा 32 (5) में वर्णित है बोर्ड के कार्यालय में अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से पेश किया जायेगा या यथाविधि प्राधिकृत व्यक्ति के मार्फत या डाक से भेजा जायेगा । मेमोरेन्डम में अपील के आधार संक्षेप में उल्लिखित होने चाहिये ।

(2) रजिस्ट्रार ऐसी अपीलों का रजिस्टर रखेगा , जिसमें वे क्रम संख्या के अनुसार दर्ज की जायेगी । रजिस्टर में अपीलान्ट , अपील के मेमोरमण्डम की प्राप्ति की

तारीख , अपली का निर्णय हो जाने पर उसका परिणाम और ऐसे अन्य ब्योरे जिन्हें उसमें दर्ज किये जाने के लिए अध्यक्ष निर्देश दें , दर्ज होने चाहिये ।

(3) ऐसी अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनार्थ बोर्ड की बैठक , साधारणतया तीन माह में कम से कम एक बार की जायेगी ।

**टिप्पणी** :— इस उप—नियम की किसी भी बात का अर्थ नहीं लगाया जायेगा जो कि बोर्ड की बैठक में कोई अन्य कार्यवाही करने से रोकने वाला हो ।

(4) बैठक की तारीख , समय और स्थान की सूचना अपीलाण्ट को पर्याप्त समय पूर्व दी जायेगी ताकि उसे बैठक में उपस्थित होने , यदि वह ऐसा करना चाहे के लिए उचित समय मिल जाय ।

(5) उक्त प्रयोजन के लिए की गई बैठक में अपीलाण्ट की व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी सलाहकार की मार्फत उपस्थित होने और सुनाई का अधिकार होगा ।

(6) अधिनियम और तदन्तर्गत निर्मित नियमों के प्रावधान जिनमें धाराएं 17,18 और 21 सम्मिलित है , जो कि बोर्ड की बैठकों पर लागू होते है , इस नियम के अधीन अपीलों की सुवनवाई के लिए होने वाली बैठकों पर लागू होंगे ।

(7) धारा 20 के साथ पठित धारा 22(2) (ग) के अन्तर्गत , सम्बन्धित सलाहकार समिति के समक्ष होने वाली कार्यवाही के प्रसंग में , नियम उसी रीति से लागू होगा , जिस रीति से यह नियम बोर्ड समक्ष के होने वाली कार्यवाही के प्रसंग में लागू होता है ।

(8) इस नियम के प्रावधान , जहां तक हो सके , धारा 34 और 36 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों से उत्पन्न अपीलों पर भी लागू होंगे ।

(9) जब इस नियम के अन्तर्गत किसी अपील की सुनाई सलाहकार समिति के समक्ष की जावे तो अपीलाण्ट को मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा , लेकिन बैठक का सभापतित्व करने वाले व्यक्ति को ऐसो साक्ष्य लिया जाना , विशेषतया अनुचित विलम्ब रोकने के उद्देश्य से , विनियमित करने की शक्ति होगी , ऐसा साक्ष्य उसके द्वारा व असमबद्ध माना जाय :

बैठक में लेखबद्ध किया जाना आवश्यक नहीं है ।

**25. धारा 36 (1) के अन्तर्गत सूचियों का फार्म** :—

(1) धारा 36 (1) (क) के अन्तर्गत भरती किये गये चिकित्सकों की सूची फार्म न. 5 में रखी जायेगी ।

(2) चिकित्सा करने के लिये योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की सूची , जो धारा 36 (1) (ख) के अन्तर्गत रखी जानी हो , फार्म न. 6 मे होगी ।

**फार्म न. 1**  
**देखिये नियम 7(1)**  
**निर्वाचक – नामावली**

राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम , 1953 की धारा .....  
के खण्ड ..... के अन्तर्गत .....

---

निर्वाचन क्षेत्र में मत देने योग्य व्यक्तियों सूची :-

क्रम संख्या	नाम	पिता का नाम	पता
रजिस्ट्रेशन संख्या			

---

1

2

3

4

---

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनके नाम उपरोक्त नामावली में दर्ज हैं , राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम , 1953 की ..... के अन्तर्गत मत देने के लिए योग्य हैं ।

**रजिस्ट्रार ,**  
**भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड ,**  
**राजस्थान ।**

फार्म न. 2  
देखिये नियम 7(5)  
मनोनयन—पत्र  
निर्वाचक — नामावली

राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा .....  
के खण्ड ..... के अन्तर्गत निर्वाचन ।  
निर्वाचन क्षेत्र

---

उम्मीदवार पिता का नाम का नाम	रजिस्ट्रेशन संख्या और निर्वाचन क्षेत्र का नाम और निर्वाचक नामावली में क्रम संख्या जिस पर उसका नाम दर्ज है ।	पता का नाम	प्रस्तावक का नाम	समर्थक का नाम
---------------------------------	--	---------------	---------------------	------------------

---

1

2

3

4

5

6

---

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त व्योरा दिया गया है और मैं इस मनोनयन से सहमत हूं ।

(हस्ताक्षर).....

उम्मीदवार ,  
निर्वाचन अधिकारी

हिदायतें

जो मनोनयन—पत्र निर्वाचन अधिकारी को तारीख .....  
को या उसके पहले नहीं मिलेंगे वे अवैध हो जायेंगे ।

फार्म नं. 3  
देखिये नियम 7 (9)  
मत—पत्र का फार्म

भारतीय चिकित्सा बोर्ड, राजस्थान आउटर फाइल मुख्यपृष्ठ .....  
..... निर्वाचन – क्षेत्र

प्रतिपर्ण (काउण्टर फाइल भारतीय चिकित्सा बोर्ड, राजस्थान के लिये  
निर्वाचन ..... 19 .....  
मतपत्र की क्रम संख्या .....  
निर्वाचन—नामावली में यह क्रम संख्या  
जिस पर निर्वाचक का नाम दर्ज है

भोजने की तारीख .....  
भेजने वाले अधिकारी के संक्षिप्त  
हस्ताक्षर

उम्मीदवारों के मत घोतक चिन्ह के पते

निर्वाचन अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर

## आउटर फाइल का पिछला भाग

### हिदायतें

1. जिन उम्मीदवारों के लिये निर्वाचक मत दे सकता है, उनकी संख्या ..... है।
2. आप जिन उम्मीदवारों को मत देना चाहते हैं, उनके नाम या नामों के सामने चिन्ह अंकित करके मत देंगे। यदि आप (ऐसी स्थितियों में जबकि एक से अधिक मत दिये जा सकते हों) अपने सभी मतों का प्रयोग न करना चाहें, तो आपके लिये सभी मतों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, किन्तु किसी एक उम्मीदवार की एक से अधिक मत नहीं दिये जा सकेंगे।
3. राजस्थान भारतीय चिकित्सा नियम, 1955 के अन्तर्गत कोई मत-पत्र अवैध हो जायेगा यदि :—
  - (क) वह किसी भी रूप में उक्त नियमों के सम्मुख नहीं है, या
  - (ख) वह उन हिदायतों के सम्मुख नहीं है, जो कि उस पर छपी हुई है, या
  - (ग) उस पर निर्वाचन अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर नहीं है, या
  - (घ) उस पर कोई भी मत अंकित नहीं है, या
  - (ङ) कोई मतदाता उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है, अथवा ऐसा शब्द लिख देता है या ऐसा चिन्ह अंकित कर देता है जिससे कि वह उक्त मतदाता के मतपत्र के रूप में पहचाना जा सके, या
  - (च) उस पर अंकित किये गये मतों की संख्या भरे जाने वाल रिक्त स्थानों की संख्या से अधिक हो, या
  - (छ) वह अंकित किये गये एक या अधिक मतों की संदिग्धता के कारण शून्य हो जाय :

परन्तु जब एक ही मतपत्र पर एक से अधिक मत दिये जा सकते हों, उस दशा में यदि वैसे चिन्हों में से कोई चिन्ह इस प्रकार अंकित किया गया हो कि वह संशयपूर्ण हो जाय कि उक्त चिन्ह किस उम्मीदवार के लिये अभिप्रेत है, तो उसके कारण केवल सम्बन्धित मत ही अवैध होगा न कि समूचा मतपत्र।

4. जो मत-पत्र निर्वाचन अधिकारी के पास तारीख ..... को 12 बजे मध्याह्न के पहले नहीं पहुँचेंगे, अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।